



बिहार पुलिस
←————→
सब इंस्पेक्टर/दरोगा

BIHAR POLICE SUB-ORDINATE SERVICES COMMISSION

भाग – 1

हिंदी




विषय सूची

1. संज्ञा	1
2. शर्वनाम	2
3. विशेषण	4
4. क्रिया	7
5. काल	9
6. अव्यय	11
7. काश्क	14
8. तत्सम - तद्भव	22
9. विलोम - शब्द	24
10. पर्यायवाची	30
11. शब्द युग्म	42
12. संधि	52
13. उपसर्ग	59
14. प्रत्यय	63
15. समास	66
16. वाक्य-शुद्धि	71
17. मुहावरे	77
18. लोकोक्ति	88
19. रस	105
20. छन्द	107
21. अलंकार	115
22. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द	118
23. अपठित गद्यांश	124
24. रचना एवं रचनाकार	143

संज्ञा

परिभाषा :-

संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है- 'सम् + ज्ञा' अर्थात् सम्यक् ज्ञान करने वाला अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वर्ग, भाव स्थिति आदि का परिचय करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का पर्याय है- नाम। किसी व्यक्ति (प्राणी), वस्तु स्थान, स्थिति, वर्ग, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं।



संज्ञा के भेद:-

व्यक्ति, गुण, वस्तु, भाव, स्थान आदि के आधार पर संज्ञा के तीन भेद माने गये हैं -

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा:-

जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे - गौतम बुद्ध, हिमालय, ताजमहल, सीता, गंगा, जयपुर, रामायण आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता यह है कि (1) यह दुनिया में एक ही होती है और (2) इसको हम पहले से जानने के आधार पर ही पहचान सकते हैं। गंगा/ताजमहल/रामायण को यदि हमने पहले से देखा है, समझा है तभी हम पहचान सकते हैं कि यह नदी तो गंगा है, यह भवन ताजमहल है, यह पुस्तक रामायण है, अज्ञानक पहली बार देखने से नहीं।

2. जातिवाचक संज्ञा :-

जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति/वर्ग (Class) का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे- लडका, पर्वत, पुस्तक, घर, नगर, झरना, कुत्ता आदि।

जातिवाचक संज्ञा तो एक वर्ग है और दुनिया में उसकी इकाईयाँ अनेक होती हैं। लडका जातिवाचक संज्ञा है और दुनिया में लडका वर्ग के अनेक विद्यमान हैं।

जातिवाचक संज्ञा का आधार है- वस्तु आदि का समान गुण, और पहले से उन वर्ग गुणों का ज्ञान होने पर वैसे ही गुण अन्य किसी में पहचान कर नई वस्तु/प्राणी को भी हम तुरन्त पहचान लेते हैं।

प्रश्न:- नीचे लिखे शब्दों को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के रूप में छांटिए-

ब्रह्मपुत्र, पत्थर, रंगमर्मर, ग्रेनाइट, फूल, कमल, हिमालय, अनाज, गेहूँ, कल्याणशीला (गेहूँ),

गाय, जर्सी गाय, फल आम, लैंगडा आम।

उत्तर:- ऊपर के शब्दों में केवल ब्रह्मपुत्र और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं शेष सभी जातिवाचक हैं दुनिया में व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक होती है और जातिवाचक-अनेक।

1. द्रव्यवाचक :-

किसी पदार्थ या द्रव्य (द्रव यानी बहने वाली वस्तु-पानी, तेल, आदि, द्रव्य यानी पदार्थ जैसे- मिट्टी, चीनी, तेल आदि) का बोध करने वाला शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे- लोहा, सोना, घी, मिट्टी, तेल, दूध, लकड़ी, ऊन आदि। इन संज्ञाओं हम गिन नहीं सकते। दो लोहा, चार सोना आदि नहीं कर सकते, ये अगणनीय संज्ञाएँ हैं और ये मात्रात्मक या परिमाणात्मक हैं। इनमें से कुछ बहुवचन बनते हैं जैसे- मिट्टी, - मिट्टियाँ, लकड़ी-लकड़ियाँ आदि।

2. समूहवाचक :-

ये संज्ञाएँ अनेक गणनीय संज्ञाओं के समूह से बनती हैं, और वे एकवचन एवं बहुवचन दोनों रूपों में (सोना/सोनाएँ, कक्षा/कक्षाएँ) प्रयुक्त हो सकती हैं। ये शब्द किसी व्यक्ति के वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक होते हैं, जैसे- सोना, कक्षा, मंडली, जुलूस, परिवार, पुस्तकालय आदि।

3. भाववाचक संज्ञा :-

जिन शब्दों से व्यक्तियों/पदार्थों के धर्म (Nature), गुण, दोष अवस्था (State), व्यापार (Activity), भाव स्वभाव या अवधारणा (Concept), विचार आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञाएँ कहलाती हैं, जैसे कोमलता, बचपन, लम्बाई, बुढ़ापा, शत्रुता, शलाह, मातृत्व, शौचित्य, दासता, मित्रता आदि।

भाववाचक संज्ञाएँ पाँच प्रकार के शब्दों से बनती हैं :-

- जातिवाचक संज्ञा से (विभिन्न तद्धित प्रत्यय लगकर)-
 लडका-लडकपन, मित्र-मित्रता, पशु-पशुता,
 आदमी-आदमीयत, चिकित्सक-चिकित्सा, चोर-चोरी,
 तरुण-तरुणाई, पुरुष-पुरुषत्व, मर्द-मर्दानगी आदि ।
- शर्वनाम से (विभिन्न तद्धित प्रत्यय लगकर)-
 निज-निजत्व, अपना-अपनापन, शर्व-शर्वत्व,
 अहम्-अहंकार, मम्-ममता, ममत्व आदि ।
- विशेषण से (विभिन्न तद्धित प्रत्यय लगकर)-
 बूढ़ा-बूढ़ापन, चतुर-चतुरता/चतुराई, मीठा-मीठास,
 मधुर-मधुरता/माधुर्य, खट्टा-खट्टास/खट्टापन,
 अरुण-अरुणमा, कंजूस-कंजूसी, उचित-औचित्य,
 लघु-लघुता, आलसी-आलस्य, विद्वान-विद्वता
 गरीब-गरीबी, भूखा-भूख, परिष्कार,
 धीर-धीर्य/धीरज आदि ।
- क्रिया से संज्ञा - (विभिन्न कृत प्रत्यय लगकर)-
 चढ़ना-चढ़ाई, चलना-चाल, दौटना-दौड़,
 राजाना-राजावट, उतारना-उतार, कमाना-कमाई,
 गाना-गान, जीना-जीवन, झुकना-झुकाव,
 खेलना-खेल, थकना-थकान, पहुंचना-पहुंच,
 जीतना-जीत, मिलाना-
 मिलावट, हँसना-हँसी, पीना-पान आदि ।
- अव्यय से - निकट-निकटता, दूर- दूरी,
 नीचे-नीचता, ऊपर-ऊपरी, धिक्-धिक्कार आदि ।
 इस प्रकार ता, त्व, पन, ई, आई, आ, इयत,
 आहट, त, य आदि प्रत्यय लगाने से अव्यय शब्द
 भाववाचक संज्ञाओं में परिवर्तित हो जाते हैं । हिन्दी
 में संज्ञाएँ लिंग, वचन तथा कारक द्वारा अपना
 रूप निर्धारण करती हैं । ये संज्ञा के विकारक तत्व
 कहलाते हैं ।

शर्वनाम


परिभाषा-

संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को शर्वनाम कहते हैं -

जैसे- मैं, तुम, वह, कौन, कोई, क्या आदि ।

शर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है- 'सबका नाम' अर्थात् जो शब्द सबके नामों के स्थान पर लडका/लडकी/कमरा आदि सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे शर्वनाम कहलाते हैं ।

यह पुनरुक्ति दोषको मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ।



1. पुरुषवाचक शर्वनाम (Personal Pronoun)-

वक्ता, श्रोता या किसी अव्यय के लिए जाने वाले कथन (पुरुष) हेतु जिन शर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें पुरुषवाचक शर्वनाम कहते हैं । इसी आधार पर पुरुषवाचक शर्वनाम के तीन प्रकार माने गए हैं -

- उत्तम पुरुषवाचक शर्वनाम (First Person)- जिन शर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला (वक्ता) या लिखनेवाला (लेखक) अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक शर्वनाम कहते हैं । मैं, मेरी, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमको आदि उत्तम पुरुषवाचक शर्वनाम हैं, जैसे -
 - मैं अपने स्कूल गया ।
 - हम प्रदर्शनी देखने जाएँगे ।
 - इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं ।

- मध्यम पुरुषवाचक शर्वनाम (Second Person)- वक्ता या लेखक सुनने वाले

(श्रीता) या पढनेवाले (पाठक) के लिए किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तू, तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हें, आप, आपका, आपकी, अपनी, अपनी, आपको, अपने आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। वाक्यों में इनका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के देखा जा सकता है।

1. तू बहुत अच्छा लिखती है।
2. तुम्हें गुरु जी ने बुलाया है।
3. आप सबके लिए पूजनीय हैं।
4. पहले अपने देखो।

अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम (Third Person)-

जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता एवं श्रीता को छोड़कर किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन हेतु किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे उसका, उसकी, इसी, उसी, इन्हें, उन्हें, उनका, उनकी, उनकी, उसकी आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं जैसे:-

- वह शैते-शैते लो गई।
- उसको बुलाकर समझाओ।
- उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है।

2. निश्चयवाचक सर्वनाम (Demonstrative Pronoun)-

जिन सर्वनामों के द्वारा दूस्वर्ती या तमीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चित घटना व्यापार का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे-

- यह कौन है ? यह तो श्याम है। (यहाँ 'यह' की ओर संकेत है, 'यह' पर जोर है।)
- ये रहे वे जिन्हें मैं ढूँढ रहा था।
- गीता का घर वह है।
- वे जो बैठी हैं, अध्यापिकाएँ हैं।

इन वाक्यों में यह, वह, ये, वे, निश्चयवाचक सर्वनाम हैं तथा यह, ये तमीपवर्ती तथा वह वे सर्वनाम दूस्वर्ती संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम (Indefinite Pronoun)-

किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, या व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे- कोई किसी, कुछ। सजीव प्राणियों के लिए 'कोई', 'किसी' और निर्जीव पदार्थों के लिए 'कुछ' सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है जैसे-

- शायद बाहर कोई आया है (व्यक्ति)
- किसी (व्यक्ति) से कुछ (वस्तु) मत लो।

- हमें कुछ तो खाना पड़ेगा। (वस्तु)

4. प्रश्नवाचक सर्वनाम (Interrogative Pronoun)-

किसी वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध करने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन, कितने, कितने, क्या आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इनमें भी कौन, कितने, कितने, कितने का प्रयोग व्यक्तियों के लिए और 'क्या, कितने, कितने' वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है उदाहरणार्थ-

- कवियों को कितने आमंत्रित किया था ? (व्यक्ति)
- बाजार जाने के लिए कितने कहुँ ? (व्यक्ति)
- बाहर कौन आया है ? (व्यक्ति)
- आप चाय के साथ क्या लेंगे ? (वस्तु)
- तुम कितने लिखोगे ? (वस्तु)

5. संबंधवाचक सर्वनाम (Relative Pronoun)-

जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द/वाक्यांश का दूसरे शब्द / वाक्यांश से संबंध प्रकट करने के लिए (जो-तो) किया जाता है या जो प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्यों का संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो-तो, जितने, वह, जो-वह, जैसा-वैसा, जिसको-उसको, जिससे-उससे आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं, जैसे-

- जैसी करनी वैसी भरनी।
- जितने देखो, वही श्रुत्यधिक व्यस्त है।
- जितनी लंबी चादर, उतने ही पैर पसारिएँ।

6. निजवाचक सर्वनाम (Reflexive Pronoun)-

ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अप्रत्यक्ष प्रकट करने के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ विद्वान निजवाचक सर्वनाम के वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद मानते हैं, और कुछ अलग। आप, अपने-आप, स्वयं, खुद स्वतः निज आदि निजवाचक सर्वनाम हैं यथा-

- मैं अपने-आप कार्यालय ढूँढ लूँगा।
- उसने खुद/स्वयं/स्वतः ही परेशानी मोल ले ली है।
- आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए।

इस प्रकार उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त रूपने-रूप, स्वयं, खुद निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुषों में (उत्तम, शून्य, मध्यम) में हो रहा है।

विशेषण

परिभाषा:-


विशेषण वह शब्द-भेद है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे-

1. काली गाय अधिक दूध देती है।
 - योग्य व्यक्ति शकैव आदर के पात्र होते हैं।
 - कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं।
 - दो बच्चे खेल रहे हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में 'काली' 'अधिक', 'योग्य' विशेषण क्रमशः गाय, दूध, व्यक्ति संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। इसी प्रकार 'कुछ' एवं 'दो' भी 'लोग' व 'बच्चों' (संज्ञाओं) के विशेषण हैं।

विशेषण और विशेष्य- जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, वे 'विशेषण' और जिन संज्ञाओं या सर्वनामों की विशेषता प्रकट की जाती है, वे शब्द 'विशेष्य' कहलाते हैं।

विशेषण के भेद :- संज्ञा की विशेषता के प्रकार के आधार पर विशेषण के चार भेद माने गए हैं-



1. गुणवाचक विशेषण :- जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम (विशेष्य) के गुण-आकार, रंग, दशा, काल, स्थान आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं जैसे-

गुण/दोष:- अच्छा, बुरा, शरल, कुटिल, ईमानदार, शक्या, बेईमान, झूठा, दानवीर, शिष्ट, दयालु, कृपालु, कंजूस, शांत, चतुर, गुरखैल आदि।

आकार:- लंबा, छोटा, चौड़ा, चौकोर, तिकोना, गोल बड़ा, ठिगना, नाटा, ऊँचा, नीचा, झंडाकार, त्रिभुजाकार आदि।

रंग:- काला, पीला, लाल, शफेद, नीला, गुलाबी, हरा, सुनहरा, चमकीला, आसमानी आदि।

स्वाद:- खट्टा, मीठा, कडवा, नमकीन, करौला, तीखा आदि।

स्पर्श:- कठोर, नरम, खुरदरा, कोमल, चिकना, गरम आदि।

गंध:- सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, बदबूदार, खुशनुमा, सौंघा, गंधहीन।

दिशा:- उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, पाश्चात्य, भीतरी, बाहरी आदि ।

दशा:- नया, पुराना, जीर्ण-शीर्ण, पिलपिला, ढीला, स्वस्थ, योगी, सूखा, गाढ, पतला, पिछला, जमा आदि ।

काल:- प्राचीन, नवीन, आधुनिक, भावी, ऐतिहासिक, साप्ताहिक, मासिक, सुबह का भूला, नया, पुराना, ताजा आदि ।

स्थान:- ग्रामीण, भारतीय, रूसी, जापानी, बनेरसी, देशी, विदेशी, बाहरी, तुर्की, वन्य, पहाडी, मैदानी, आदि ।

श्रवस्था:- युवा, बूढ़, तरुण, प्रौढ़, श्रद्धेय, मुग्धा, धीर, गंभीर, अधीर, सहनशील आदि ।

वाक्यो मे कुछ उदाहरण है-

- अधिक गर्म दूध नही पीना चाहिए ।
- आम मीठा है ।
- संगमरमर चिकना पत्थर है ।
- श्रौंखो की ज्योति के लिए हरा रंग अच्छा माना गया है ।

उपर्युक्त वाक्यों मे गर्म, मीठा, चिकना, हरा गुणवाचक विशेषण है जो क्रमशः दूध की श्रवस्था, आम के स्वाद, पत्थर का स्पर्शबोध और रंग के गुण को व्यक्त रहे हैं ।

2. **संख्यावाचक विशेषण :-** गणनीय संज्ञा या शर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध करानेवाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं । जैसे-

- कक्षा मे पचास लडके अध्ययन करते हैं ।
- माता जी ने एक दर्जन केले खरीदे हैं ।
- झगडे मे कई लोग मारे गए हैं ।

उपर्युक्त उदाहरणों मे पचास, एक दर्जन, कई संख्यावाचक विशेषण है जो कि क्रमशः लडके, केले, लोग संज्ञाओं की संख्यागत विशेषता का बोध करते हैं । जातिवाचक या भाववाचक होता है ।

संख्यावाचक विशेषण के भेद :- संख्यावाचक विशेषण के विशेष्य की निश्चित और अनिश्चित संख्या के आधार पर दो भेद किए गए हैं ।

- निश्चित संख्यावाचक
- अनिश्चित संख्यावाचक

(क) **निश्चित संख्यावाचक :-** जहाँ विशेषण की निश्चित संख्या का बोध होता है ।

- कक्षा मे दस विद्यार्थी आए हैं ।
- दो दर्जन केले बीस रुपये के हैं ।
- आधा दरवाजा खुला हुआ है ।

इन वाक्यों मे आए हुये दस, दो दर्जन, आधा शब्द निश्चित संख्या का बोध करते हैं ।

संख्यावाचक विशेषणों मे अपूर्णाक विशेषण- आधा, पौन, डेढ, एक चौथाई आदि तथा क्रमवाची विशेषण जैसे- पहला, दसवाँ आदि, गुणा/ आवृत्तिवाचक विशेषण, जैसे- द्वागुना, चौगुना, समूहवाचक विशेषण, जैसे- दोनो, चारो तथा प्रत्येकवाचक जैसे प्रति व्यक्ति, हर आदमी आदि होते हैं ।

(ख) **अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण :-** जो विशेषण संज्ञा या शर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराकर उनकी संख्या का अस्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करते हैं, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे- कुछ, कई, थोडे, कम, बहुत, काफी, अगणित, दशियों, हजारी, अधिक, कोई-सौ, सौ-एक, करीब सौ, कोई दो सौ इत्यादि । वाक्यों मे कतिपय उदाहरण निम्नलिखित है-

- कुछ लडके मैदान मे खेल रहे हैं ।
- मेरे पास बहुत से रुपये हैं ।
- बस थोडे पन्ने लिखने बाकी हैं ।
- ट्रेन-दुर्घटना मे सैकड़ों व्यक्ति मारे गए ।
- सडक पर कोई-सौ लडके खडे थे ।

इन वाक्यों मे कुछ, बहुत-से, थोडे, सैकड़ों, कोई-सौ अनिश्चित संख्याओं का बोध करते हैं ।

3. **परिमाणवाचक :-** मात्रात्मक, द्रव्यवाचक संज्ञा या शर्वनाम की माप-तौल संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे-

- पहलवान प्रतिदिन पाँच लीटर दूध पी जाता है ।
- भिखारी को थोडा आटा दे दो ।

यहां 'पाँच लीटर दूध' 'थोडा आटा' व आटे का माप है जो गण्य नहीं है, केवल मापा जा सकता है, अतः वे परिमाणवाचक विशेषण हैं ।

परिमाणवाचक विशेषण माप-तौल की निश्चितता व अनिश्चितता के आधार पर दो प्रकार के माने गए हैं-

(क) **निश्चित परिमाणवाचक-** जो संज्ञा या शर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध करते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यथा-

- चार लीटर दूध लेकर आओ ।

- बाजार से दस किलो चीनी ले आना ।
- यह चैन पंद्रह ग्राम सोने की है ।
- उसके पास बीस एकड़ जमीन है ।
- हमें दस ट्रक भूसा चाहिए ।

उपर्युक्त वाक्यों में चार लीटर, दस किलो, पंद्रह ग्राम, बीस एकड़, दस ट्रक क्रमशः दुध, चीनी, सोना, जमीन और भूसे के निश्चित माप हैं, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं ।

(ख) अनिश्चित परिमाणवाचक— जिन विशेषणों के द्वारा संज्ञा या शर्वात्मक के निश्चित परिणाम का बोध न होकर अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं जैसे—

- वह ढेर सारा मक्खन खा गया । (अनिश्चित मक्खन)
- मुझे भी कुछ नाश्ता दे दो ।
- थोड़ा पानी देना ।
- जरा-सा आचार दे दो ।
- यहाँ देखें आम पड़े हैं ।

उपर्युक्त उदाहरणों में 'ढेर सारा', कुछ, थोड़ा, जरा-सा, देखें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं, जो क्रमशः मक्खन, नाश्ता, पानी, आचार, आम की अनिश्चित माप का बोध करते हैं। अधिक मात्रा का बोध करने के लिए परिमाणवाचक विशेषण के साथ 'और' जोड़ दिया जाता है ।

4. शर्वात्मक विशेषण :- जो शर्वात्मक संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें शर्वात्मक विशेषण कहते हैं ।

शर्वात्मक विशेषण के चार भेद :-

(क) निश्चयवाचक/संकेतवाचक शर्वात्मक

विशेषण :- जिनसे संज्ञा या शर्वात्मक निश्चयवाचकता का

संकेत होता है, यथा

- उस व्यक्ति को बुलाइए । (व्यक्ति विशेष की ओर संकेत है)
- क्या यह पुस्तक तुम्हारी है ? (पुस्तक की ओर संकेत है)

(ख) अनिश्चयवाचक शर्वात्मक विशेषण :-

जिनसे संज्ञा या शर्वात्मक की अनिश्चयवाचकता का बोध होता है, जैसे:-

- वहाँ कुछ भी वस्तु खाने के लिए नहीं मिलेगी
- छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है ।

(ग) प्रश्नवाचक शर्वात्मक विशेषण :- इन विशेषणों से संज्ञा या शर्वात्मक से संबंधित प्रश्नों का बोध

होता है जैसे :-

- वहाँ मैदान में कौन छात्र दौड़ रहा है ?
- तुम्हारे लिए बाजार से क्या चीज लाऊँ ?
- तुम्हें किस लड़के ने मारा है ?

उपर्युक्त उदाहरणों में प्रयुक्त 'कौन' 'क्या' 'किस' आदि संज्ञा के पहले लगे हैं तथा विशेष्य से संबंधित प्रश्नों का बोध करा रहे हैं ।

(घ) संबंधवाचक शर्वात्मक विशेषण :- जिन विशेषणों से एक संज्ञा या शर्वात्मक का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या शर्वात्मक शब्द के साथ जोड़ा जाता है जैसे:-

- जो घड़ी मैंने कल खरीदी थी, वह खो गई है ।
- जिस कार्य को करने से नुकसान होता है, उस पर विचार करना मूर्खता है ।
- वह व्यक्ति सामने जा रहा है, जिससे तुम्हारा झगडा हुआ था ।

इन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट है कि जो-वह, जिस-उस, वह-जिससे शर्वात्मक विशेषणों का संबंध वाक्यों में प्रयुक्त अन्य विशेष्यों- क्रमशः घड़ी, कार्य और व्यक्ति से स्थापित किया गया है ।

क्रिया

वाक्य में जिस शब्द-समूह से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं, जैसे:-

- मोहन खाना खा रहा है ।
- हवा बह रही है । (करना-हवा बहने की क्रिया कर रही है ।)
- पुस्तक जलमारी में है । (होना)

उपर्युक्त वाक्यों में 'खा रहा है' 'बह रही है', 'है' क्रियापद हैं ।

वाक्य में कर्म की संभावना के आधार पर भेद :-

अकर्मक और सकर्मक क्रिया:- किसी क्रिया के करने हेतु कर्म की आवश्यकता/संभावना होने या न होने के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं - सकर्मक और अकर्मक ।

(क) **अकर्मक क्रिया :-** जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर केवल कर्ता पर ही पड़ता है अर्थात् जिस क्रिया के करने में कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती है, बिना किसी कर्म के क्रिया सम्पन्न हो सकती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे:-

- नरेश दौड़ रहा है ।
- चिड़िया उड़ रही है ।
- बच्चा रोता है ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'दौड़ रहा है', 'उड़ रही है', 'रोता है' क्रियाओं के फल का प्रभाव क्रमशः नरेश, चिड़िया और बच्चा कर्ता-पदों पर ही पड़ता है और ये क्रियाएँ बिना किसी कर्म के क्रिया केवल कर्ता के द्वारा ही सम्पन्न हो सकती हैं ।

(ख) **सकर्मक क्रिया :-** जहाँ क्रिया के घटित होने की प्रक्रिया में कर्म की आवश्यकता होती ही है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं । सकर्मक क्रिया कर्म के बिना सम्पन्न हो ही नहीं सकती, जैसे :-

1. राम पत्र लिखता है ।
2. लडके ने बेर खाए ।
3. मोहित पानी पीता है ।
4. अध्यापक प्रश्न पूछते हैं ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'लिखना', 'खाना', 'पीना', 'पूछना' क्रियाओं का प्रभाव क्रमशः पत्र, बेर, पानी व प्रश्न पूछा जाता है और उसका कोई-न-कोई उत्तर अवश्य आता है

और वह उत्तर ही कर्म होता है, और वह क्रिया सकर्मक होती है, राम क्या लिखता है ? (पत्र), लडके ने क्या खाए ? (बेर), मोहित ने क्या पिया ? (पानी) ।

क्रिया की पूर्णता के आधार पर भेद :-

अपूर्ण क्रिया - कुछ क्रियाओं का अर्पण-आपमें अर्थ पूर्ण ही नहीं होता, इसलिए अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी अन्य 'पूरक' शब्द पर निर्भर होना होता है जो क्रिया न होकर संज्ञा या विशेषण पद होता है, ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते हैं, अर्थात् क्रिया अपना अर्थ स्वयं न देकर संज्ञा, विशेषण पद से ही दे पाती है, जैसे-

- अजीत श्याम को मूर्ख समझता है । ('मूर्ख'-विशेषण के बिना क्रिया 'समझता है' का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा ।)
- अशोक जी हमारे गुरु थे । (गुरु-संज्ञापद के बिना 'थे' का अर्थ स्पष्ट नहीं होता ।)

स्पष्ट है कि इन वाक्यों में प्रयुक्त पूरक (मूर्ख, गुरु-दोनों संज्ञापद) का लोप कर देने से वाक्य में पूर्णता नहीं आती । ऐसे पूरक कर्मपूरक कहे जाते हैं, जो विशेषण और संज्ञा दोनों ही हो सकते हैं ।

पूर्ण क्रिया - जिस क्रिया-पद से क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो जाए, पूरक के रूप में और-क्रियापद (संज्ञा-विशेषण) की आवश्यकता नहीं हो, उसे पूर्ण क्रिया कहते हैं, जैसे :-

1. लडका रोता है ।
 2. लडका पढ़ता है ।
- यहाँ 'रोता है', 'पढ़ता है' क्रियापद से पूर्ण अर्थ निकल जाता है । ये दोनों पद क्रियापद ही हैं । अतः ये पूर्ण क्रियाएँ हैं ।

क्रिया की संरचना के आधार पर भेद :-

प्रेरणार्थक क्रिया - जहाँ कर्ता खुद क्रिया को न करके दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है । यहाँ कर्ता भी क्रिया तो करता है किन्तु वह प्रेरणा देने की क्रिया करता है । प्रेरणार्थक क्रियाओं में 'वा' लगता है ।

- नरेश ने नाई से बाल कटवाए ।
 - सुनीता ने अर्यना से पत्र लिखाया ।
 - मोहन ने माली से दूब कटवाई ।
- सभी प्रेरणार्थक क्रियाएँ सकर्मक होती हैं ।

मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया- मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करने में सहायता करने वाला क्रियापद सहायक क्रिया कहलाता है, जैसे -

- मैं गया हुआ था । (यहाँ गया मुख्य क्रिया है तथा हुआ था सहायक क्रिया है ।)

- सुरेश चुन रहा था । (चुन- मुख्य क्रिया है तथा रहा था- सहायक क्रियाएँ)

नामधातु क्रिया:- जब संज्ञा एवं विशेषण क्रियात्मक नामपद शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने पर किसी क्रिया का निर्माण होता है, तब वह नामधातु क्रिया होती है जैसे :-

- रोठ ने मकान हथियाया । (हाथ-संज्ञापद)
- मुझ पर दृश्य फिल्माया । (फिल्म-संज्ञापद)
- लडकी बतियाई । (बात संज्ञापद)

पूर्वकालिक क्रिया:- जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उन्नी पल दूरता कार्य आरम्भ करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है । पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर लगता है- सोकर, उठकर, जाकर आदि ।

- बच्चे दूध पीकर सो गए । (सोने से पहले दूध पीया ।)
- रमेश खाना खाकर विद्यालय गया ।
- रमेश खाना खाने के बाद विद्यालय गया ।

लेकिन 'रमेश ने खाना खाया और उसके बाद विद्यालय गया' वाक्य में पहली क्रिया पूर्वकालिक नहीं है, बल्कि दोनों ही क्रियाएँ स्वतंत्र क्रियाएँ हैं क्योंकि दोनों क्रियाएँ दो अलग-अलग उपवाक्यों की क्रियाएँ हैं ।

तात्कालिक क्रिया:- यह क्रिया भी मुख्य क्रिया से पहले सम्पन्न हो जाती है । इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं होता, किन्तु पहली क्रिया के घटने के तत्काल बाद दूसरी क्रिया के घटने का बोध होता है जो 'ही' निपात से संभव होता है ।

- वह खाना खाते ही (तात्कालिक क्रिया) सो गया ।
- वह नहाने ही (तात्कालिक क्रिया) मंदिर चला गया ।

संयुक्त क्रिया:- जब दो या दो से अधिक क्रिया-धातुओं के योग क्रियापद बनता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं । संयुक्त क्रिया में कई क्रियाओं के संयुक्त हो जाने से एक क्रिया का अर्थ निकलता है, जैसे :-

- वह खाना खा चुका होगा ।
- दीक्षा लिखा करती होगी ।
- पानी बरसने लगा है ।
- मैं यहाँ रोज आ जाया करता हूँ ।
- दोपहर में लोग सो रहे होते हैं ।

इन सभी वाक्यों में पहला क्रियापद मुख्य क्रिया है तथा बाद के सभी क्रियापद सहायक क्रियाएँ हैं और मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रियाओं को मिलाकर बने क्रियापद-समूह संयुक्त क्रियाएँ हैं । सहायक क्रिया एक भी हो सकती है । (पढ़ता है) और एक से अधिक भी जैसा कि ऊपर के वाक्यों में है ।

काल (Tense)

प्रायः लोग काल और समय को एक ही मान लेते हैं परन्तु ये एक नहीं हैं। समय एक भौतिक इकाई (भौतिक शक्त) है तथा काल एक व्याकरणिक (भाषिक) अवधारणा है। किसी क्रिया के घटित होने के समय के प्रति वक्ता का जो मानसिक बोध वाक्य में व्यक्त होता है, वही वैयाकरणिक काल है।

चूंकि 'समय' को भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीन वर्गों में बांटा जाता है, उसी के आधार पर काल को भी परंपरागत व्याकरण में वर्तमानकाल, भूतकाल तथा भविष्यकाल तीन वर्गों में बांट लिया जाता है।

1. वर्तमान काल (Present Tense) :- कथन के क्षण के साथ-साथ क्रिया का होना अर्थात् वर्तमान काल के अंतर्गत आता है, जैसे-

- वह किताबें बेचता है।
- आप क्या करते हैं ?
- मैं खाना खा रही हूँ

2. भूतकाल (Past Tense) :- कथन के क्षण के पूर्व क्रिया व्यापार का होना अर्थात् बीते हुए समय में होना भूतकाल है, जैसे:-

- मैंने चाय पी ली है।
- मैं आगरा गया था।
- बच्चा चला गया।
- वे पत्र लिख रहे थे।

3. भविष्य काल (Future Tense) :- कथन के क्षण के बाद क्रिया का होना अर्थात् भविष्य में होना भविष्य काल जैसे :-

- वह कल दिल्ली जा रहा है। (क्रिया वर्तमान काल- जैसी किन्तु है भविष्य काल)
- मैं काम नहीं करूँगा।
- कल हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे।

वर्तमान काल के भेद

वर्तमान काल के तीन भेद माने गए हैं-

1. सामान्य वर्तमान (Present Indefinite) - जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया का होना या

करना पाया जाता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, जैसे -

- लडका जाता है।
- लडके जाते हैं।
- लडका रोज जल्दी उठता है।

सामान्य वर्तमान में आदत होने का संकेत तथा हमेशा होने वाली / घटनाएँ अवधारणाएँ भी सम्मिलित रहती हैं, जैसे :-

- यह लडका हमारे घर आता रहता है।
- दो और दो हमेशा चार होते हैं।
- ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है।

2. अपूर्ण वर्तमान (Imperfect) :- क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है तथा अभी भी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। इसे सातत्य वर्तमान (Present Continuous) भी कहा जा सकता है, जैसे :-

- लडका खेल रहा है।
- शिक्षक पढ़ रहे हैं।

3. संदिग्ध वर्तमान - क्रिया के जिस रूप द्वारा काम के वर्तमान काल में होने या करने में अनिश्चय का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान के नाम से जाना जाता है, जैसे :-

- लडके बाजार से आते होंगे।
- पिता ली दफ्तर पहुंचते होंगे।

संदिग्ध वर्तमान में मुख्य क्रिया वर्तमान काल ही रहती है - आता/पहुंचता/पढ़ता/चलता तथा सहायक क्रिया के रूप में होगा/होंगे/होगी रहती है।

भूतकाल के भेद

भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद हैं -

1. सामान्य भूत (Simple Past या Past Indefinite)- जिस काल से भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से समाप्त हो जाने का संकेत मिलता है, उसे सामान्य भूत कहते हैं जैसे :-

- लडका आया।
- लडकी ने खाना खाया।

2. आरम्भ भूत - क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी-अभी समाप्त होने का बोध हो, उसे आरम्भ भूतकाल कहते हैं। 'आरम्भ' का अर्थ है- निकट

। आशन्न भूत के यह बोध होता है कि कार्य अभी-अभी, निकट भूत में ही पूर्ण हुआ है, जैसे -

- वह अभी-अभी आया है ।
- उसने हाल में चाय पी है ।

3. पूर्ण भूत (Past Imperfect)- भूतकाल की जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था, वह पूर्ण भूत कहलाता है, जैसे -

- लडका खाना खा चुका था ।
- लडकी कल दिल्ली गई थी ।
- मेरे उठने से पहले सूरज उग चुका था ।

4. अपूर्ण भूत (Past Imperfect या Incomplete Past)- भूतकाल की जिस क्रिया से यह विदित हो कि कार्य भूतकाल में प्रारम्भ हो चुका था, चल रहा था, किन्तु काम पूरा नहीं हुआ था, जारी था, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं, जैसे -

- लडका पढ़ रहा था ।
- माँ खाना बना रही थी ।

5. संदिग्ध भूत - भूतकाल की जिस क्रिया के करने अथवा होने पर अनिश्चितता (अर्थात् निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कार्य हुआ था क्या ।)

प्रतीत हो, वह संदिग्ध भूत कहलाता है, जैसे -

- लडकी ने कविता पढ़ी होगी ।
- लडके ने गीत गाया होगा ।

संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूतकाल दोनों में होगा/होगी/होंगे/होंगी सहायक क्रियाएँ तो समान रहती हैं किन्तु संदिग्ध वर्तमान में मुख्य क्रिया वर्तमानकाल की (पढ़ता/चलता) होती है तथा संदिग्ध भूतकाल में भूतकाल की (पढ़ा/चला) रहती है ।

6. हेतु-हेतुमद् भूत (Conditional Past)-

जिस क्रिया से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था, परन्तु किसी अन्य कार्य के हो सकते या न हो सकने के कारण (हेतु) से हो सका या न हो सका, वहाँ हेतु-हेतुमद् भूत होता है, जैसे-

- कपिल पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता ।
- कपिल पढ़ इसलिए उत्तीर्ण हो गया ।
- यदि वर्षा होती तो फसल हो जाती ।

भविष्य काल के भेद

भविष्य काल के तीन भेद माने गए हैं -

1. सामान्य भविष्य (Future Indefinite या Simple Future) भविष्य काल की जिस क्रिया से यह सूचित हो कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी, उसे सामान्य भविष्य कहते हैं, जैसे -

- माली पौधों में पानी देगा ।
- हम सब खेलने जाएँगे ।
- हम आज शाम आपके यहाँ आ रहे हैं । (क्रिया वर्तमान जैसी किन्तु भविष्य काल)

2. संभाव्य भविष्य (Doubtful Future) - क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य के होने की संभावना पाई जाए, वह संभाव्य भविष्य कहलाता है, जैसे -

- वह शायद कल शेरों आ जाए ।
- हो सकता है, मेहमान कल ही आ जाएँ ।

संभाव्य भविष्य की क्रियाओं से कार्य के होने का निश्चित पता नहीं चलता, केवल उसकी संभावना का बोध होता है, जिसे 'संभव है' 'हो सकता है' आदि पदों से व्यक्त किया जाता है ।

3. सातत्यबोधक भविष्य (Future Continuous)

जिस क्रिया- रूप से भविष्य में कार्य के जारी रहने का/निरंतरता का बोध हो, उसे सातत्यबोधक भविष्य कहते हैं, जैसे -

- कल हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे ।
- हमारे पहुंचने के समय पुनीत पढ़ रहा होगा ।

शुव्यय

शुव्यय प्रायः लिंग, वचन, परस्पर आदि से शुभभावित रहते हैं । ऐसी शब्द प्रत्येक स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं । नीचे लिखे उदाहरणों को देखें-

1. आज लडकों ने सूर्यग्रहण का रहस्य जान लिया ।
2. आज लडकियों ने अपनी कक्षाओं में कमाल कर दिया ।
3. आज कुछ कृषि वैज्ञानिक आर ।
उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित पद 'आज' शुव्यय है ।
शुव्यय शब्दों में विकार (परिवर्तन) न होने के कारण ही ये 'अविकारी' के नाम से भी जाने जाते हैं । ये चार प्रकार के होते हैं-

1. क्रियाविशेषण

“ वह शब्द, जो क्रिया की विशेषता, समय, स्थान, शीति (शैली) और परिमाण (मात्रा) बताए, 'क्रियाविशेषण' (Adverb) कहलाता है ।” जैसे वह परसों जाएगा । (समयसूचक)

वह घोडा बहुत तेज दौडता है । (शीति)

अर्थ के अनुसार क्रियाविशेषण के चार प्रकार होते हैं-

1. कालवाचक : इससे क्रिया के समय का बोध होता है । आज, कल, जब, तब, अब, कब, लगातार, दिनभर, प्रतिदिन, परसों, सबेरे, तुरंत, अभी, पहले, पीछे, शदा, बार-बार, बहुधा, प्रायः आदि कालवाचक क्रियाविशेषण के अंतर्गत आते हैं । इन्हीं कालवाचक शब्दों में कुछ का दो बार एक साथ प्रयोग होता है । जैसे-

वह बार-बार चीखता है ।

मैं अभी-अभी आया हूँ ।

2. स्थानवाचक : यह क्रिया के स्थान का बोध करता है । इसके अंतर्गत यहां, वहां, आगे, पीछे, बराबर, भीतर, ऊपर, नीचे, इधर-उधर, अगल-बगल, चारों ओर, जहां, तहां आदि आते हैं । जैसे-

वह आगे गया है ।

वे ऊपर बैठे हैं ।

स्थानवाचक क्रिया विशेषण दो प्रकार के होते हैं :

(a) स्थितिसूचक : यहां, वहां, जहां, तहां, कहां, आगे, आगने-शामने, ऊपर, पास, निकट, शामने, दूर, प्रत्यक्ष आदि ।

(b) दिशासूचक : इधर-उधर, किधर, दाएं-बाएं आदि ।

3. परिमाणवाचक : इससे परिमाण (मात्रा) का बोध होता है यानि यह क्रिया की मात्रा का बोध करता है । इसके अंतर्गत बहुत, बडा, बिल्कुल, अत्यन्त, अतिशय, कुछ, लगभग, प्रायः किंचित, केवल, यथेष्ट, काफी, थोडा, एक-एक कर आदि आते हैं ।

4. शीतिवाचक : यह क्रिया की शीति (क्रिया कैसे हो रही है) का बोध करता है । शीतिवाचक क्रियाविशेषण प्रकार, स्वीकार, विधि, निषेध, निश्चय, अनिश्चय, अवधारणा, प्रयोजन और कारण का बोध करता है ।

निश्चयार्थक : बेशक, सचमुच, वस्तुतः, हाँ, अवश्य .

..

अनिश्चयार्थक : प्रायः, कदाचित्, संभवतः.....

स्वीकारार्थक : हाँ, ठीक, सच,

कारणार्थक : अतः, इसलिए, क्योंकि

निषेधार्थक : न, नहीं मत.....

आवृत्तिपरक : सारासरा, फटाफट,

अवधारक : ही, भी, भर, मात्र, तो

इनके अतिरिक्त धीरे-धीरे, अचानक, यथाशक्ति, यथासंभव, आजीवन, निःसंदेश, शा, तक आदि भी क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं ।

शुव्ययीभाव के समस्तपदों का प्रयोग भी क्रिया विशेषण के रूप में होता है । जैसे-

उसने आकण्ठ खाया था ।

वह आजीवन काम करता रहा ।

भाववाचक संज्ञाओं में या विशेषणों में 'पूर्वक' जोड़कर भी क्रियाविशेषण बनाया जाता है । जैसे-

वह कुशलतापूर्वक रहता है ।

उसने श्रद्धापूर्वक सत्कार किया ।

प्रयोग के अनुसार क्रियाविशेषण के तीन प्रकार हैं-

1. साधारण क्रियाविशेषण : यह क्रियाविशेषण किसी उपवाक्य से संबंध नहीं रखता है । जैसे-
हाय, वह अब करे तो क्या करे ।

रणधीर, जल्दी आ जाना ।

2. संयोजक क्रियाविशेषण : इसका उपवाक्य से संबंध रहता है । जैसे-

जब परिश्रम ही नहीं तो विद्या कहाँ से ?

3. अनुबद्ध क्रियाविशेषण : इस क्रियाविशेषण का प्रयोग निश्चय (अवधारणा) के लिए होता है । जैसे-

मैंने खाया तक नहीं था ।

रूप के अनुसार क्रियाविशेषण के तीन प्रकार हैं :

1. मूल क्रियाविशेषण : जो मूल रूप में होते हैं यानि किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते । जैसे-
मैं ठीक हूँ ।

वह अचानक आ धमका ।

मुझे बहुत दूर जाना है ।

2. यौगिक क्रिया विशेषण : जो किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय जुड़ने से बनते हैं । जैसे-

दिन + भर = दिनभर

चुपके + से = चुपके से

वहां + तक = वहां तक

देखते + हुए = देखते हुए

3. स्थानीय क्रियाविशेषण : जो बिना रूपान्तर के किसी विशेष स्थान में आते हैं। जैसे-
लता मंगेशकर श्रद्धा गाती है। वह बैठकर खा रहा था।

2. संबंधबोधक

“वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध सूचित करें।”

संबंधबोधक (Preposition) शब्द प्रायः संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगाए जाते हैं; किन्तु यदा-कदा संज्ञा या सर्वनाम के पहले भी आते हैं।

प्रयोग के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं :

1. संबद्ध संबंधबोधक : ये संज्ञाओं की विभक्तियों के आगे आते हैं। जैसे-

भूख के मारे
पूजा से पहले
घन के बिना

2. अनुबद्ध संबंधबोधक : ये संज्ञा के विकृत रूप के साथ आते हैं। जैसे-

पुत्रों समेत
सहेलियों सहित
किनारे तक

व्युत्पत्ति के अनुसार भी संबंधबोधक दो प्रकार के होते हैं -

1. मूल संबंधबोधक : बिना, पर्यंत, नाई, समेत, पूर्वककृ

2. यौगिक संबंधबोधक : वे विभिन्न प्रकार के शब्दों से बनते हैं। जैसे-

श्रीर, अपेक्षा, नाम, वास्ते, विशेष, पलटे-संज्ञा से
ऐसा, जैसा, जवानी, शरीखे, तुल्य-विशेषण से
लिए, मारे, करके, -क्रिया से

ऊपर, बाहर, भीतर, यहां, पास-क्रियाविशेषण से
नोट : ध्यान दें, यदि किसी विभक्ति के बाद क्रियाविशेषण रहे तो वह संबंधबोधक बन जाता है।
जैसे-

सेनाएँ आगे बढ़ी। (क्रियाविशेषण)

सेनाएँ युद्धक्षेत्र से आगे बढ़ी। (संबंधबोधक)

मोनु ऊपर बैठा है। (क्रियाविशेषण)

मोनु दीवार के ऊपर बैठा है। (संबंधबोधक)

3. समुच्चयबोधक

“शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को परस्पर जोड़ने या अलग करनेवाले अव्ययों को ‘समुच्चयबोधक (Conjunction) अव्यय कहते हैं।” जैसे-

वह आया और मैं गया।

यहां ‘और’ दो वाक्यों को जोड़ रहा है।

वह या मैं गया।

यहां ‘या’ वह और मैं को अलग करता है।

समुच्चयबोधक अव्यय के दो भेद हैं-

1. समानाधिकरण समुच्चयबोधक : ये भी चार प्रकार के होते हैं-

(a) संयोजक : ये दो पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे-

शालू, आरती, कोमल और मेघा बहुत अच्छी हैं।

सुरज उगा और श्रद्धा भागा।

इसके अंतर्गत और, तथा, एवं, व आदि आते हैं।

(b) विभाजक/विभक्तक : ये दो या अधिक पदों या वाक्यों को जोड़कर भी अर्थ को बांट देते यानि अलग कर देते हैं। जैसे-

रणवीर या रणधीर स्कूल जाएगा।

वह जाएगा या मैं जाऊंगा।

इसके अंतर्गत अथवा, या, वा, किंवा, कि चाहे, नहीं तो आदि आते हैं।

(c) विशेषदर्शक : ये वाक्य के द्वारा पहले का विशेष या अपवाद सूचित करते हैं। जैसे-

वह बोला तो था; परन्तु इतना शाफ-शाफ नहीं।

इसके अंतर्गत किन्तु, परन्तु, लेकिन, मगर, अगर, वरन्, बल्कि, पर आदि आते हैं।

(d) परिणामदर्शक : इनसे जाना जाता है कि इनके जो के वाक्य का अर्थ पिछले वाक्य के अर्थ का फल है। जैसे-

सुरज उगा इसलिए श्रद्धा भागा।

2. स्वरूपवाचक : इसके द्वारा जुड़े हुए शब्दों या वाक्यों में से पहले शब्द या वाक्य का स्पष्टीकरण पिछले शब्द या वाक्य से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कि, जो, अर्थात् यानी, यदि आदि आते हैं।

(a) कारणवाचकोजक : इस अव्यय से आरंभ होनेवाला वाक्य अपूर्ण का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत क्योंकि जो कि, इसलिए कि आदि आते हैं।

(b) उद्देश्यवाचक : इस अव्यय के बाद आनेवाला वाक्य दूसरे वाक्य का उद्देश्य सूचित करता है। इसमें कि, जो, ताकि, इसलिए कि का प्रयोग आते हैं।

(c) संकेतवाचक : इस अव्यय के कारण पूर्व वाक्य में जिस घटना का वर्णन रहता है, उससे उत्तरवाक्य की घटना का संकेत पाया जाता है। इसके अंतर्गत कि यदि-तो, जो, तो, चाहे, परन्तु, यद्यपि-तथापि, या, तो भी आदि आते हैं।

नोट : जो अव्यय दो-दो करके एक साथ आते हैं, वे नित्य संबंधी कहलाते हैं।

जैसे- यद्यपि-तथापि, जो-तो इत्यादि।

यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ।

4. विश्रयादिबोधक

“जिन अव्यय शब्दों से वक्या या लेखक के मनोवेग अर्थात् भय, विश्रय, शोक, घृणा, उद्वेग आदि प्रकट हों।” जैसे-

काश ! वह मुझे याद करता तो जिंदगी सँवर जाती ।
 इस वाक्य में 'काश' विस्मयादिबोधक
 (Interjection) श्रव्य है ।

विस्मयादिबोधक श्रव्य के निम्नलिखित प्रकार हैं :

आश्चर्यबोधक : क्या ! शय ! ऐं ! ओ हो !....

हर्षबोधक : शाबाश ! धन्य ! ऊहा ! वाह !

शोकबोधक : हाय ! उफ ! बाप रे,.....

इच्छाबोधक : जय हो ! आशिष !

घृणाबोधक : छिः ! धिक् ! राम-राम ! हुश् !...

श्रुमोदनश्रुचक : ठीक ! वाह ! श्रच्छ भला !.....

संबोधनश्रुचक : श्रे ! शरी ! ऐ !.....

नोट :

(i) विस्मयादिबोधक श्रव्य के बाद विस्मयश्रुचक
 चिह्न (!) का प्रयोग किया जाता है ।

(ii) घत् तेरे की, हैलो, बहुत खूब, क्या कहने,
 कौन, क्यों, कैसा, सावधान, हट बचाओ, जा-जा
 आदि का प्रयोग भी विस्मयादिबोधक के रूप में होता
 है ।

नियात

“नियात (Particles) उन सहायक पदों को कहा
 जाता है, जो वाक्यार्थ में बिल्कुल नदीन श्रर्थ लाते हैं
 । ”

हिन्दी में क्या, काश, तो भी, ही, तक, लगभग
 ठीक, कटीब, मात्र, शिर्फ, हाँ, न, नहीं मत इत्यादि
 निपातों का प्रयोग होता है ।

नीचे लिखे वाक्यों के चमत्कारों को देखें, जो निपात
 के कारण श्राए हैं-

मैं यह काम कर सकता हूँ । (सामान्य श्रर्थ)

मैं भी यह काम कर सकता हूँ । (श्रौर भी कर
 सकते हैं)

मैं ही यह काम कर सकता हूँ । (शिर्फ मैं ही कर
 सकता हूँ)

मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ । (नहीं कर
 सकता)

नियात से आश्चर्य प्रकट होता है; प्रश्न किया जाता
 है; निषेध किया जाता है श्रौर बल दिया जाता है ।

निपात के मुख्यतया नौ प्रकार माने जाते हैं :

1. स्वीकारार्थक - हाँ, जी, जी हाँ.....
2. नकारात्मक - नहीं, न, जी नहीं,
3. निषेधार्थक - मत.....
4. प्रश्नबोधक - क्या, न,.....
5. विस्मयार्थक - काश, क्या,.....
6. बलदायक - तो, ही, भी, तक
7. तुलनार्थक - शा,.....
8. श्रवधारणार्थक - ठीक, लगभग, कटीब,
 तकरीबनकृ
9. श्रादश्रुचक - जी,.....

कारक

जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बनाए वह कारक है।”

जैसे-माइकल जैक्सन ने पॉप संगीत को काफी ऊँचाई पर पहुंचाया।

यहाँ ‘पहुंचाना’ क्रिया का शून्य पदों माइकल जैक्सन, पॉप संगीत, ऊँचाई आदि से संबंध है। वाक्य में ‘ने’ ‘को’ और ‘पर’ का भी प्रयोग हुआ है। इसे कारक-चिह्न या विभक्ति-चिह्न कहते हैं। यानी वाक्य में कारकीय संबंधों को बतानेवाले चिह्नों को कारक चिह्न अथवा परशर्म कहते हैं।

हिंदी भाषा में कारकों की कुल संख्या आठ मानी गई है, जो निम्नलिखित हैं-

कारक	परशर्म/विभक्ति
1. कर्ता कारक	शून्य, ने (को, ते, द्वारा)
2. कर्म कारक	शून्य, को
3. कर्ण कारक	से, द्वारा (साधन या माध्यम)
4. सम्प्रदान कारक	को, के लिए
5. अपादान कारक	से (अलग होने का बोध)
6. संबंध कारक	का-के-की, ना-ने-न, रा-रे-री
7. अधिकरण कारक	में, पर
8. संबोधन कारक	है, हो, और, अजी,.....

कर्ता कारक

“जो क्रिया का सम्पादन करे, ‘कर्ता कारक’ कहलाता है।”

अर्थात् कर्ता कारक क्रिया (काम) करता है। जैसे-
 आतंकवादियों ने पूरे विश्व में आतंक मचा रखा है।
 इस वाक्य में ‘आतंक मचाना’ क्रिया है, जिसका सम्पादक ‘आतंकवादी’ है यानी कर्ता कारक है।
 कर्ता कारक का परामर्श ‘शून्य’ और ‘ने’ चिह्न लुप्त रहता है, वही कर्ता का शून्य चिह्न माना जाता है।
 जैसे-

पेड-पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं।

यहाँ पेड-पौधे में ‘शून्य चिह्न’ है।

कर्ता कारक में ‘शून्य’ और ‘ने’ के अलावा ‘को’ और ‘से/द्वारा’ चिह्न भी लगाया जाता है। जैसे-
 उसको पढ़ना चाहिए।

उससे पढ़ा जाता है।

कर्ता के ‘ने’ चिह्न का प्रयोग :

सकर्मक क्रिया रहने पर सामान्य भूत, आशन्न भूत, पूर्णभूत, संदिग्ध भूत में कर्ता के आगे ‘ने’ चिह्न आता है। जैसे-

मैंने तो आपको कभी गैर नहीं माना। (सामान्य भूत)

मैंने तो आपको कभी गैर नहीं माना है। (आ. भूत)

मैंने तो आपको कभी गैर नहीं माना था। (पूर्ण भूत)

मैंने तो आपको कभी गैर नहीं माना होगा। (सं. भूत)

भूत)

मैंने तो आपको कभी गैर नहीं माना होता। (हित. भूत)

भूत)

कर्म कारक

“जिस पर क्रिया (कर्म) का फल पड़े, ‘कर्म कारक’ कहलाता है।”

जैसे-तालिबानियों ने पाकिस्तान को रैद डाला।

सुन्दर लाल बहुगुणा ने ‘चिपको आन्दोलन’ चलाया।
 इन दोनों वाक्यों में ‘पाकिस्तान’ और ‘चिपको आन्दोलन’ कर्म हैं; क्योंकि ‘रैद डालना’ और ‘चलाना’ क्रिया से प्रभावित हैं।

कर्म कारक का चिह्न ‘को’ है; परन्तु जहाँ ‘को’ चिह्न नहीं रहता है, वहाँ कर्म का शून्य चिह्न माना जाता है।

जैसे-

वह रोटी खाता है।

भालू नाच दिखाता है।

इन वाक्यों में ‘रोटी’ और ‘नाच’ दोनों के चिह्न-रहित कर्म हैं।

कभी-कभी वाक्यों में दो-दो कर्मों का प्रयोग भी देखा जाता है, जिनमें एक मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म होता है। प्रायः वस्तुबोधक को मुख्य कर्म और प्राणिबोधक को गौण कर्म माना जाता है। जैसे-

माँ ने बच्चे को दूध पिलाया।

↓ ↓

गौण कर्म मुख्य कर्म

क्रिया पर कर्म का प्रभाव

जैसे-माइकल जैक्सन ने पॉप संगीत को काफी ऊँचाई पर पहुंचाया।

1. यदि वाक्य में कर्म चिह्न-रहित (शून्य) रहे और कर्ता में ‘ने’ लगा हो तो क्रिया कर्म के लिंग-वचन के अनुसार होती है। जैसे-

कवि ने कविता सुनाई।

माँ ने रोटी खिलाई ।

मैंने एक सपना देखा ।

तिलक ने महान भारत का सपना देखा था।

गुलाम अली ने एक अच्छी गजल सुनाई थी ।

बन्दर ने कई केले खाए हैं ।

बच्चों ने चार खिलौने खरीदे होंगे ।

2. यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों चिह्न-युक्त हों तो क्रिया सदैव पु. एकदचन होती है जैसे-

दिल्लियों ने पुरुषों को देखा था ।

चरवाहों ने गायों को चराया होगा ।

शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया है ।

गाँधी जी ने सत्य और अहिंसा को महत्व दिया है ।

3. क्रिया की अनिवार्यता प्रकट करने के लिए कर्ता में 'ने' की जगह 'को' लगाया जाता है और क्रिया कर्म के लिंग-वचन के अनुसार होती है। जैसे-

उस उम्र माँ को बच्चा पालना ही होगा ।

अंशु को एम. ए. करना ही होगा।

नूतन को पुस्तकें खरीदनी होंगी ।

4. अशक्ति प्रकट करने के लिए कर्ता में 'से' चिह्न लगाया जाता है और कर्म को चिह्न-रहित ऐसी स्थिति में क्रिया कर्म के लिंग-वचन के अनुसार ही होती है। जैसे-

रामानुज से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती ।

उससे रोटी खायी नहीं जाती है ।

शील्पा से भात खाया नहीं जाता था ।

5. यदि कर्ता चिह्न युक्त हो, पहला कर्म भी चिह्न-युक्त हो और दूसरा कर्म चिह्न-रहित रहे तो क्रिया दूसरे कर्म (मुख्य कर्म) के अनुसार होती है। जैसे-

माता ने पुत्री को विदाई के समय बहुत धन दिया ।

पिता ने पुत्री को/पुत्र को बधाई दी ।

करण कारक

“जिस पर क्रिया (कर्म) का फल पड़े, 'कर्म कारक' कहलाता है ।”

अर्थात् करण कारक साधन का काम करता है । इसका चिह्न 'से' है, कहाँ-कहाँ 'द्वारा' का प्रयोग भी किया जाता है जैसे-

चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो ।

पुलिस तमाशा देखती रही और अपहर्ता बोलेते से लडकी को ले भागा ।

छात्रों को पत्र के द्वारा परीक्षा की सूचना मिली

उपयुक्त उदाहरणों में कलम, बोलेते और पत्र करण कारक है ।

कभी-कभी वाक्य में करण का चिह्न लुप्त भी रहता है, वहाँ अमित नहीं होना चाहिए, सीधे क्रिया के साधन खोजने चाहिए । जैसे-

किससे या किसके द्वारा काम हुआ अथवा होता है? मैं आपको अँखों देखी खबर सुना रहा हूँ । किससे देखी ? अँखों से (करण)

आज भी संसार में करोड़ों लोग भूखों मर रहे हैं । (भूखों-करण कारक)

करीम मियाँ ने दो-दो जवान बेटों को अपने हाथों दफनाया (हाथों-करण कारक)

प्रत्येक कर्ता कारक में भी करण का 'से' चिह्न देखा जाता है । जैसे-

यदि शत्रुओं में तेरा नाम न जपवाऊँ तो मैं विष्णुगुप्त चाणक्य नहीं ।

अहमदाबाद जाते हो तो मेरा प्रस्ताव लोगों से मनवा के छोडना ।

क्रिया की रीति या प्रकार बताने के लिए भी 'से' चिह्न का प्रयोग किया जाता है । जैसे-

धीरे से बालों कीवार के भी कान होते हैं ।

जहाँ भी रहो खुशी से रहो, यही मेरा आशीर्वाद है ।

सम्प्रदान कारक

“कर्ता कारक जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया का सम्प्रदान करता है, सम्प्रदान कारक होता है ।”

जैसे-मुख्य बत्री नीतीश कुमार ने बाढ पीडितों के लिए अनाज और कपडे बँटवाए ।

इस वाक्य में 'बाढ-पीडित' सम्प्रदान कारक है; क्योंकि अनाज और कपडे बँटवाने का काम उनके लिए ही हुआ है । जैसे-

गृहिणी ने गरीबों को कपडे दिए ।

माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दीं ।

इन उदाहरणों में गरीबों को... गरीबों के लिए और बच्चे को बच्चे के लिए की और संकेत है ।

प्रथम उदाहरण में एक और बात है..... जब कोई वस्तु किसी को हमेशा-हमेशा के लिए (दान आदि अर्थ में) दी जाती है, तब वहाँ 'को' का प्रयोग होता है जो 'के लिए' का बोध कराता है । प्रथम उदाहरण में गरीबों को कपडे दान में दिए गए हैं । इसलिए 'गरीब' सम्प्रदान कारक का उदाहरण हुआ ।